रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 1972/फाल्गुन 20, 1893

No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1972, PHALGUNA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th March 1972

SUBJECT:—*Import policy for the year April, 1971—March, 1972.*

No. 42-ITC(PN)/72.—Attention of the importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.

2. As a result of the representations received, the import policy in respect of certain items has been reviewed and it has been decided to make the following

amendments in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.—

Page No. of the Red Book:	Reference:	Details of amendments :
45	Section II, S. No. 9 (*i*) (Others)/II Column 4.	The following new remark may be deemed to have been inserted :— "(*v*) Import of Iron Powder will be allowed on restricted basis for manufacture of electrodes,"
65	Section II, S. No. 46(*c*)/II, Column 4.	The existing remark may be substituted by the following:— " A. U. for import of capacitors (condensers) of the following specifications:— 1000/250 Microfarad 30/50 V. D. C. —10 per cent +50 per cent Tolerance. +10 per cent storage increase over 2 months shelflife.. ±10 per cent variation typical Temp. variation over temp. range —10° C to 55° C".
455	Section V Appendix 41, Schedule D, S. No. 23	The existing entry may be deemed to have been amended as follows :— " Import to the extent of 50 per cent of consumption during 1970-71 will be allowed to actual users."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1972

विषय : वर्ष अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 के लिए आयात नीति।

संख्या : 42-आई० टी० सी० (पी०एन०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. प्राप्त किये गये प्रतिवेदनों के फलस्वरूप, कुछ मदों की आयात नीति की पुनरीक्षा की गई है और अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है —

रेडबुक का पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन के ब्योरे
45	खंड—2, क्रम सं० 9 (1) (अन्य)/2, कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाये :— "(5) इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लौह चूर्ण के आयात की स्वीकृति प्रतिबन्धिना के आधार पर दी जाएगी।"
65	खंड—2, क्रम संख्या 46 (सी)/2, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :— "निम्नलिखित विशिष्टिकरणों के धारकों (संधनित्रों) के आयात के लिए वास्तविक उपभोक्ता :— 1000/250 माइक्रो फेरेड 30/50 वी०डी०सी० —10 प्रतिशत + 50 प्रतिशत टालरेन्स। + 10 प्रतिशत भण्डार वृद्धि 2 माह से ज्यादा शेफलाइफ। ± 10 प्रतिशत विशेष ताप पर विभिन्नता ताप सीमा पर विभिन्नता —10° से० से 55° में"
455	खंड—5, परिशिष्ट 41, अनुसूची डी, क्रम संख्या 23	वर्तमान प्रविष्टि को नीचे के अनुसार संशोधित किया गया समझा जाये :— "1970—71 के दौरान की खपत के 50 प्रतिशत की सीमा तक वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात के लिए स्वीकृति दी जाएगी।"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972